न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कंवर, R.A.S.

संख्या : 45/25

GCMS id : 2025/69

1. रामभरोस पुत्र रामकरण जाति कुम्हार,
2. गोपीलाल पुत्र रामकरण जाति कुम्हार

निवासीगण ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

—वादी

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, लाड़पुरा, कोटा

—प्रतिवादी

—वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट—

उपस्थितिः— श्री बृज बिहारी गोचर वादीगण अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः—30.04.2026

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा व राजस्व अभिलेख की इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
2. वादीगण तथा वादीगण के पूर्वज पिता, दादा आदि ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा के निवासी है जिनकी जीविका का एकमात्र साधन खेती—बाड़ी, कृषि रहा है। वादीगण व उसके पूर्वज ग्राम बनियानी मे 100 वर्षों से भी अधिक समय से निवास करते आ रहे है। ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि वादीगण की गैर—खातेदारी मे चली आ रही है जिसमे वादीगण का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है तथा वादीगण अपने हिस्से पर निर्बाध होकर काबिज—काश्त चले आ रहे है।

   वादी के पिता रामकरण पुत्र किशोर जाति कुम्हार को दिनांक 24.06.1989 को आवंटित हुई थी तथा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना होने पर स्व0 रामकरणर को दिनांक 26.12.1989 को दखलनामा ऐलोटी जारी कर दिया गया तिा बाद दखलनामा राजस्व रिकोर्ड मे बतौर गैर—खातेदार दर्ज चला आ रहा था, तथा रामकरण की मृत्यु के बाद वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड मे बतौर गैर—खातेदार दर्ज चला आ रहा है।

   इसी प्रकार ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा अन्य खाता संख्या नया 477 पुराना 453 खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.39 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 हैक्टर कृषि आराजी वादीगण के राजस्व रिकोर्ड मे बतौर गैर—खातेदार दर्ज रिकोर्ड चली आ रही है। वादीगण के पिता की मुत्यु के बाद वादीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है तथा वादी के पिता ने अपने जीवनकाल मे उक्त दोनो कृषि भूमियो पर काफी रूपया, पैसा खर्च कर सिंचित अवस्था मे कर लिया तथा वादग्रस्त भूमि का लगान पिलाई पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से वादी व उसके पिता जमा कराते चले आ रहे है तथा उक्त कृषि आराजी पर वादी के पिता के जीवन काल से ही रबी, खरीब की फसले करते चले आ रहे है। वादीगण की रोजी—रोटी व आजिविका का एकमात्र साधन उक्त दोनो कृषि भूमिया ही है।

   वादीगण उपरोक्त कृषि आराजी पर अपने पूर्वजों के जीवनकाल से ही काबिज काश्त होने के कारण एवं सरकार के कृषि जातो संबधित समस्त नियमों का पालन करने के कारण उक्त वादगरत्त कृषि आराजी के रिकोर्डेड़ खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम बनियानी तहसील लाड़पुरा, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टर तथा खाता संख्या पुराना 453 एवं नया 477 खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.39 हैक्टर कुल 4 की रकबा 0.84 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं रेवेन्यू रिकोर्ड मे वादीगण का नाम बतौर खातेदार घोषित किया जावे।
3. वादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये—

   -- प्रदर्श—1 नकल जमाबन्दी ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा

   — प्रदर्श—2 प्रमाणित नकल आवंटन प्रोसेडिंग रजिस्टर

– प्रदर्श–3 प्रमाणित नकल आवंटन प्रोसेडिंग रजिस्टर
– प्रदर्श–4 प्रमाणित नकल नामान्तरण संख्या 355 ग्राम बनियानी तहसील लाड़पुरा
– प्रदर्श–5 प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत् 2046–50
– प्रदर्श–6 प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत्2046–50
– प्रदर्श–7 प्रमाणित नकल जमाबंदी ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा।
– प्रदर्श–8 प्रमाणित नकल खसरा गिरदावरी, ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा
– प्रदर्श–9 प्रमाणित नकल खसरा गिरदावरी, ग्राम बनियानी तहसील लाड़पुरा
– प्रदर्श–10 प्रमाणित नकल आवेदन प्रा0 पत्र की नकल

4. प्रतिवादी की ओर से प्रकरण में तय समय में जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर जवाबदावा बंद किया गया। वादी अभिभाषक की प्रकरण मे एकपक्षीय बहस सुनी गई, जिसमें वादी अभिभाषक द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि–

वादीगण तथा वादीगण के पूर्वज पिता, दादा आदि ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा के निवासी है जिनकी जीविका का एकमात्र साधन खेती–बाड़ी, कृषि रहा है। वादीगण व उसके पूर्वज ग्राम बनियानी मे 100 वर्षो से भी अधिक समय से निवास करते आ रहे है। ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि वादीगण की गैर–खातेदारी मे चली आ रही है जिसमे वादीगण का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है तथा वादीगण अपने हिस्से पर निर्बाध होकर काबिज–काश्त चले आ रहे है।

वादी के पिता रामकरण पुत्र किशोर जाति कुम्हार को दिनांक 24.06.1989 को आवंटित हुई थी तथा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना होने पर स्व0 रामकरणर को दिनांक 26.12.1989 को दखलनामा ऐलोटी जारी कर दिया गया ताि बाद दखलनामा राजस्व रिकोर्ड मे बतौर गैर–खातेदार दर्ज चला आ रहा था, तथा रामकरण की मृत्यु के बाद वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड मे बतौर गैर–खातेदार दर्ज चला आ रहा है।

इसी प्रकार ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा अन्य खाता संख्या नया 477 पुराना 453 खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0. 39 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 हैक्टर कृषि आराजी वादीगण के राजस्व रिकोर्ड मे बतौर गैर–खातेदार दर्ज रिकोर्ड चली आ रही है। वादीगण के पिता की मुत्यु के बाद वादीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है तथा वादी के पिता ने अपने जीवनकाल मे उक्त दोनो कृषि भूमियो पर काफी रूपया, पैसा खर्च कर सिंचित अवस्था मे कर लिया तथा वादग्रस्त भूमि का लगान पिलाई पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से वादी व उसके पिता जमा कराते चले आ रहे है तथा उक्त कृषि आराजी पर वादी के पिता के जीवन काल से ही रबी, खरीब की फसले करते चले आ रहे है। वादीगण की रोजी–रोटी व आजिविका का एकमात्र साधन उक्त दोनो कृषि भूमिया ही है।

वादीगण उपरोक्त कृषि आराजी पर अपने पूर्वजों के जीवनकाल से ही काबिज काश्त होने के कारण एवं सरकार के कृषि जातो संबधित समस्त नियमों का पालन करने के कारण उक्त वादगस्त कृषि आराजी के रिकोर्डेड़ खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम बनियानी तहसील लाड़पुरा, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टर तथा खाता संख्या पुराना 453 एवं नया 477 खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.39 हैक्टर कुल 4 की रकबा 0.84 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं रेवेन्यू रिकोर्ड मे वादीगण का नाम बतौर खातेदार घोषित किया जावे।

5. प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि–

वादी को राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन कृषक होने के कारण ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादीगण के पिता रामकरण पुत्र किशोर को 24.06.1989 खसरा नम्बर 1367, 1368 कुल रकबा 0.25 हैक्टर आराजी आवटन हुई तथा कब्जा भी वादीगण को दिया गया। प्रदर्श–4 नामान्तरण संख्या 355 दिनांक 17.07.2001 के अवलोकन से स्पष्ट है, खसरा नम्बर 1367, 1368 कुल रकबा 0.25 हैक्टर आराजी को वादीगण के पिता रामचरण पुत्र किशोर के नाम गैर–खातेदारी मे दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। मुताबिक प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2071–74 ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1367, 1368 की आराजी वादीगण के गैर–खातेदार दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है तथा प्रदर्श–7 के अवलोकन अध्ययन से स्पष्ट है कि खाता संख्यां नया 477 पुराना 453 खसरा नम्बर 1007 रकबा 0. 15 हैक्टर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.39 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.8400 हैक्टर आराजी वादीगण के गैर खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। मुताबिक प्रदर्श–8,9 खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि

वादीगण के पिता उपरोक्त दोनो खातो की आराजी पर बतौर काबिज काश्त होकर गैर–खातेदारी दर्ज रिकोर्ड थे।

वादी अभिभाषक द्वारा अपने समर्थन में पेश किये गये दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार 10 वर्ष में गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान प्रावधित है। वर्तमान में उक्त आवंटन नियमों में संशोधन कर तीन वर्ष में आवंटी को खातेदार अधिकार दिया जाना प्रावधित है। वर्ष 1999 में 50 प्रतिशत आवंटित भूमि पर काश्त करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। आवंटन शर्तो की पालना करने पर आंवटी को गैरखातेदारी प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आज्ञापक प्रावधान है।

प्रस्तुत प्रकरण में पेश दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादी के नाम गैरखातेदारी में विवादित आराजी दर्ज किये जाने को लगभग 20–30 वर्ष का समय हो चुका है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो जिम्मेदारी कानून के तहत धारा 18 नियम 1970 में तहसीलदार को प्रदान की गई है, वह जिम्मेदारी तहसीलदार ने अदृश्य कारणों से नहीं निभाई है।

अतः वादी को ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.25 हैक्टर एवं खाता संख्यां नया 477 पुराना 453 खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.39 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.8400 हैक्टर आराजी को वादीगण के पिता रामचरण पुत्र किशोर की गैरखातेदारी में दर्ज किये लगभग 20–30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार वादीगण द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्धारित शर्ते पूर्ण किये जाने की स्थिति में वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/4/26

(श्रीमती हुकम कंवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय)कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

[illegible]वान :-

1. रामभरोस पुत्र रामकरण जाति कुम्हार,
2. गोपीलाल पुत्र रामकरण जाति कुम्हार
निवासीगण ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

—वादी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, लाड़पुरा, कोटा

—प्रतिवादी

दावा बाबत : 88,89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 45 / 25
निर्णय दिनांक : 30-04-2026

GCMS id : 2025 /69

न्यायालय हाजा में विद्वान वादी अभिभाषक श्री बृजबिहारी गोचर की उपस्थिति में वादपत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 30—04—2026 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कँवर, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर, प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है वादी को ग्राम बनियानी, तहसील लाड़पुरा खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.25 हैक्टर एवं खाता संख्यां नया 477 पुराना 453 खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 880 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 881 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 882 रकबा 0.39 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.8400 हैक्टर आराजी को वादीगण के पिता रामचरण पुत्र किशोर की गैरखातेदारी में दर्ज किये लगभग 20—30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन)* नियम, 1970 के नियम 18 के अनुसार वादीगण द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्धारित शर्ते पूर्ण किये जाने की स्थिति में वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई / टंकित करावाई जाकर आज तारीख 30 अप्रैल 2026 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया		प्रतिवादी	रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह—व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह—व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	